मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05 /10 /2023

क्र. एफ IPI/5/0031/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बडियाखेडी, जिला सीहोर में एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण एवं लॉजिस्टिक्स सुविधा परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP23245) हेतु जारी शासनादेश दिनांक 05/10/2018 एवं 27/11/2019 के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार पुनरीक्षित सुविधायें दी जाये -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता**- उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत प्रथम चरण में यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर खाद्य गणक सम्मिलित करते हुये 40% की समान दर से शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। शेष चरणों में किये गये निवेश पर सहायता नीति अनुसार प्रदान की जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत**- परियोजना अंतर्गत पूर्व से स्थापित/ नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट**- परियोजना अंतर्गत प्रथम चरण में नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. **मण्डी शुल्क से छूट**- परियोजना को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 04/04/2022 अनुसार मण्डी शुल्क में छूट प्रदान की जाये।

5. **भूमि के मूल्य में रियायत**- परियोजना हेतु पूर्व शासन आदेश दिनांक 05/10/2018 द्वारा स्वीकृत सुविधा अनुसार।

6. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - परियोजना हेतु पूर्व शासन आदेश दिनांक 27/11/2019 द्वारा स्वीकृत सुविधा अनुसार।

7. **परियोजना क्रियान्वयन हेतु समयावधि** - परियोजना को मार्च 2026 तक प्रतिबद्ध निवेश सहित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने हेतु समयावधि प्रदाय की जाती है।

8. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

निरंतर.....

9. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

10. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ IPI/5/0031/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 05 /10/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला - सीहोर ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स आई.टी.सी. लि., सेन्ट्रल प्रोजेक्टस ऑगेनाईजेशन, न. 18, बनसवाडी मेन रोड, मारूतिसेवा नगर, बैंगलोर - 560005।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग